भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3674

दिनांक 24.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल

3674. श्री कनकमल कटारा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांसवाड़ा-डूंगरपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों व आसपास के अन्य क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का कार्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस संबंध में इन क्षेत्रों में किस तिथि को सर्वेक्षण किए गए थे;
(ग) उक्त क्षेत्रों में योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उक्त क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के द्वारा भू-जल स्तर के पुनर्भरण की कोई योजना/प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): अगस्त 2019 से, भारत सरकार जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन राज्यों की भागीदारी से कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक राजस्थान राज्य में बांसवाड़ा-डूंगरपुर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों के परिवारों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की जा सके।

पेयजल राज्य का विषय होने के नाते, राज्यों को ही पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, रूपरेखा बनानी होती है, अनुमोदन और कार्यान्वयन करना होता है। भारत सरकार तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। अत: व्यक्तिगत जल आपूर्ति परियोजनाओं का ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है, तथापि, राज्य दैनिक आधार पर जेजेएम के तहत वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की सूचना जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार विभाग

की एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएमआईएस) पर देते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ग्रामीण परिवारों, विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला एवं गांव-वार स्थिति पब्लिक डॉमेन में है और जेजेएम डैशबोर्ड के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

(ग): इस मिशन के तहत, दुर्गम भू-भागों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के तहत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं, के लिए 30% भारांक महत्व दिया गया है और जबकि निधि आबंटित करते समय इन क्षेत्रों में कवरेज को प्राथमिकता देने हेतु एससी/एसटी बहुल क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए 10% भारांक महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जल गुणवत्ता-प्रभावित बसावटों, सूखा-ग्रस्त एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत गांवों, एससी/एसटी बहुल गांवों, आकांक्षी एवं जेई-एईएस प्रभावित जिलों और सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों को स्वच्छ नल जल आपूर्ति के लिए नल जल कनेक्शन प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जाती है।

इसके अलावा, सूखा-ग्रस्त और जल की कमी वाले क्षेत्रों/अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों या भूजल स्रोतों पर निर्भरता वाले क्षेत्रों सहित ऐसे सभी क्षेत्रों में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु लंबी दूरियों से बड़ी मात्रा में जल अंतरण और क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाने एवं क्रियान्वयन हेतु जेजेएम के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मनरेगा, एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), 15वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं (आरएलबी/पीआरआई) हेतु सशर्त अनुदानों, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों, आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों के नवीकरण, आदि जैसे स्रोत पुनर्भरण हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(घ) एवं (ङ) केंद्र सरकार द्वारा देश में भूजल के संरक्षण, प्रबंधन और वर्षा-जल संचयन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय पब्लिक डॉमेन में निम्न लिंक पर उपलब्ध हैं:

http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Feb2021.pdf

***